राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4 ( )आकाशि/नि.सं./2019/230 दिनांक 13/03/2020

सचिव,
प्रबंध समिति,
निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः—सत्र 2017—18 सत्र 2018—19 सत्र 2019—20 के पूर्व संचालित निजी महाविद्यालयों के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के कम में अन्तिम तिथि का निर्धारण करने बाबत।

संदर्भः— विभाग का समसंख्यक पत्रांक 220, दिनांक 15.01.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि सत्र 2017—18, सत्र 2018—19 एवं सत्र 2019—20 के जिन निजी महाविद्यालयों को कमीपूर्ति मापदण्ड पूर्ण नही करने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किय गया था, उन महाविद्यालयों को समय—समय पर कमीपूर्ति के अवसर दिये गये थे। उक्त सत्रों के टीएनओसी अभिवृद्धि/ पीएनओसी हेतु लंबित प्रकरणों में छात्र हित के मध्येनजर कमीपूर्ति अथवा नियमानुसार शास्ति राशि व्यक्तिशः उपस्थित होकर जमा कराने की अन्तिम तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः—

क्र.स.	**प्रकरण विषय**	**दिनांक**
1	सत्र 2017—18 के टीएनओसी अभिवृद्धि/ पीएनओसी हेतु कमिपूर्ति/ शास्ति जमा करवाने की अन्तिम तिथि	30.03.2020
2	सत्र 2018—19 के टीएनओसी अभिवृद्धि/ पीएनओसी हेतु कमिपूर्ति/शास्ति जमा करवाने की अन्तिम तिथि	30.03.2020
3	सत्र 2019—20 के टीएनओसी अभिवृद्धि/ पीएनओसी हेतु कमिपूर्ति/शास्ति जमा करवाने की अन्तिम तिथि	30.03.2020

1. सत्र 2017—18 से लम्बित NOC प्रकरण में संस्था को, कमीपूर्ति के अभाव में सत्र 2017—18 से सत्र 2019—20 तक तीनो सत्रों हेतु नियमानुसार प्रत्येक सत्र हेतु निर्धारित शास्ति राशि अन्तिम दिनांक 30.03.2020 तक जमा करवानी होगी।
2. सत्र 2018—19 से लम्बित NOC प्रकरण में संस्था को, कमीपूर्ति के अभाव में सत्र 2018—19 से सत्र 2019—20 तक दो सत्रों हेतु नियमानुसार प्रत्येक सत्र हेतु निर्धारित शास्ति राशि अन्तिम दिनांक 30.03.2020 तक जमा करवानी होगी।

उक्त महाविद्यालय कमीपूर्ति के समस्त दस्तावेज आवश्यक रूप से नोडल अधिकारी से प्रमाणित करवाकर ही आयुक्तालय को प्रस्तुत करें। उक्त निर्धारित तिथि पश्चात कमीपूर्ति/शास्ति राशि जमा नही कराने वाली संस्था की एनओसी सत्र 2020—21 से कमिक रूप से निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(प्रदीप कुमार बोरड़, IAS)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्राचार्य नोडल राजकीय महाविद्यालय को भेज कर लेख हैं कि आपकी तहसील में अवस्थित निजी महाविद्यालयो द्वारा, सत्र 2017—18, 2018—19, सत्र 2019—20 के लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित दस्तावेजों को प्राथमिकता से प्रमाणित करें।
2. रक्षित पत्रावली।

13/3/2020

संयुक्त निदेशक (नि. सं.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान